



ऑस्ट्रेलिया में आप्रवास सहायता देना

आप्रवासी सहायता क्या है?

आप्रवासी सहायता तब होती है, जब कोई व्यक्ति इसके द्वारा वीजा आवेदन या अन्य वीजा मामलों में सहायता करने के लिए में ज्ञान, या अनुभव का उपयोग करता है:

- वीजा आवेदन या अन्य दस्तावेज़ तैयार करना या तैयार करने में मदद करना
- वीजा आवेदन या वीजा मामले के बारे में सलाह देना
- वीजा मामले के संबंध में न्यायालय या समीक्षा प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करना, या उसकी तैयारी करना।

आप्रवास सहायता में यह शामिल नहीं हैं:

- आवेदन-पत्र या अन्य दस्तावेज़ को तैयार करने (या तैयार करने में मदद) के लिए लिपिकीय काम करना, उदाहरण के लिए दस्तावेज़ों को स्कैन या पोस्ट करना
- अनुवाद या दुभाषिया सेवाएँ प्रदान करना
- अन्य व्यक्ति को सलाह देना कि वे वीजा के लिए अवश्य आवेदन करें
- सूचना पर पर्याप्त टिप्पणी या स्पष्टीकरण दिए बिना, तीसरे व्यक्ति द्वारा उत्पादित सूचना को आगे देना।

ऑस्ट्रेलिया में आप्रवास सहायता कौन दे सकता है?

केवल पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट (registered migration agents), ऑस्ट्रेलियाई कानूनी प्रैक्टिशनर या छूट प्राप्त व्यक्ति ही ऑस्ट्रेलिया में कानूनी रूप से आप्रवास सहायता दे सकता है।

पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट (Registered migration agents)

पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट (Registered migration agents) को Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA) की वेबसाइट www.mara.gov.au पर उपलब्ध Register of Migration Agents पर सूचीबद्ध किए जाने के लिए ज्ञान और चरित्र की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए

कानूनी प्रैक्टिशनर

कानूनी प्रैक्टिशनर वकील होता है, जिसके पास ऑस्ट्रेलियाई कानूनी प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र होता है। कानूनी प्रैक्टिशनर कानूनी प्रैक्टिस के संबंध में आप्रवास सहायता प्रदान कर सकता है।

छूट प्राप्त व्यक्ति

व्यक्ति कानूनी रूप से आप्रवास की सहायता दे सकता है, यदि वे अपनी सहायता के लिए कोई शुल्क नहीं लेते और:

- वीजा आवेदक के नामित, प्रायोजक या करीबी पारिवारिक सदस्य होते हैं
- सांसद, राजनयिक मिशन, वाणिज्य दूतावास पद या अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य है
- *Public Service Act 1999* के अंतर्गत कार्यरत व्यक्ति या राज्य या क्षेत्र की लोक सेवा के सदस्य हैं, जो अपने काम के भाग के रूप में आप्रवास सहायता देते हैं
- मंत्री को निवेदन तैयार करने के लिए निःशुल्क सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति है।

अधिक जानकारी

इस बारे में अधिक जानकारी के लिए कि ऑस्ट्रेलिया में कौन आप्रवास सहायता दे सकता है, जिसमें शामिल है कि आप्रवास सहायता प्रदाताओं के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट कैसे करें, कृपया Department of Home Affairs वेबसाइट पृष्ठ [‘Who can help you with your application?’](#) पर जाएँ।

शिक्षा एजेंट

शिक्षा एजेंट छूट प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं और वे ऑस्ट्रेलिया में कानूनी रूप से आप्रवास सहायता प्रदान नहीं कर सकते, जब तक कि वे पंजीकृत प्रवास एजेंट या कानूनी प्रैक्टिशनर भी नहीं हैं।

गैरकानूनी आप्रवास सहायता देने के लिए दंड

ऑस्ट्रेलिया में किसी व्यक्ति द्वारा आप्रवास सहायता देना अपराध है, जब तक कि वह व्यक्ति पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट (registered migration agent), कानूनी प्रैक्टिशनर या छूट प्राप्त व्यक्ति न हो।

गैर-कानूनी आप्रवास सहायता प्रदान करने की सजा 10 साल तक की कैद हो सकती है।

गैर-कानूनी आप्रवास सहायता की रिपोर्ट करना

ऑस्ट्रेलिया में गैर-कानूनी आप्रवास सहायता देने वाले किसी भी व्यक्ति को Department of Home Affairs की वेबसाइट पर [Border Watch Online Report](#) का इस्तेमाल करके रिपोर्ट किया जाना चाहिए।